कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL-ccfshahdol@mpforest.org, cfshahdol@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2016/ 780 शहडोल, दिनांक 09.02.2016

प्रति,

संयुक्त संचालक,
बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया (म.प्र.)

विषय – **उमरिया जिले में मानपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत बाँधवगढ़ टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत भड़ारी जलाशय निर्माण हेतु 13.775 हे. वनभूमि की मांग।**

संदर्भ – **अप्रमुवसं(भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ–3/64/2015/ 10–11/ 13/ 283 दिनांक 01.02.2016**

☆☆☆

विषयान्तर्गत आपके पत्र क्र./माचि./07 दिनांक 04.01.2016 से प्राप्त प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र क्र./माचि./2016/98 दिनांक 06.01.2016 से वनमुख्यालय को प्रेषित किया गया था।

2. वन मुख्यालय में प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत पायी गयी कमियों/त्रुटियों की पूर्ति करने बावत् प्रस्ताव संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को मूलतः वापस किया गया है, जो आपको पृष्ठांकित है।

3. उक्त की पूर्ति करने/कराने हेतु प्रस्ताव मूलतः चार प्रतियों में वापस किया जाता है। पूर्ति उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र इस कार्यालय को भिजवाये।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

पृ.क्रमांक/माचि/2016/ 781 शहडोल, दिनांक 09.02.2016

प्रतिलिपि–

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया को संदर्भित पत्र के अनुवृत्ति में सूचनार्थ। परीक्षण में पाये गये कमियों की पूर्ति करने/कराने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किया जावे।

मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 64 / 2015 / 10–11 / 13 / 283 भोपाल, दिनांक 1-02-16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
शहडोल वृत्त शहडोल,
मध्यप्रदेश

विषयः– **उमरिया जिले के अंतर्गत मड़ारी जलाशय के निर्माण हेतु 13.775 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2016 / 98 दिनांक 06.01.2016

—0—

विषयांतर्गत, आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण में निम्नलिखित कमियां / त्रुटियां पाई गई है:–

1. प्रपत्र भाग–2 के कॉलम नं. 7 में आवेदित क्षेत्र से वन सीमा की दूरी नहीं बताई गई है।
2. प्रपत्र भाग–2 के कॉलम नं. 13 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि के सम्बन्ध में विवरण नहीं दिया गया है, जो ऑनलाईन भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
3. प्रपत्र भाग–2 के कॉलम नं.16 में संयुक्त संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया द्वारा अनुशंसा निर्धारित कॉलम में नहीं की गई है। इसके स्थान पर स्थल निरीक्षण टीप संलग्न की गई है जो ऑनलाईन में प्रदर्शित हो रही है किन्तु हार्डकॉपी में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि की रोपण योजना भी संलग्न नहीं है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति हेतु उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में वापस भेजकर लेख है कि कमियों की पूर्ति ऑनलाईन / हार्डकॉपी में की जाकर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को भेजें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव मूलतः 3 प्रतियों में)

28/1/16
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–3 / 64 / 2015 / 10–11 / 13 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया म.प्र.
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/1/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

C.C.F. Shahdol
431
8/2/16

D:\Section F-3.docx